Covid-19 तुरंत कार्यवाही

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, सिरोही

क्रमांक/विकास/COVID-19/2020/556

दिनांकः 25.03.2020

निमित्तः–

1. विकास अधिकारी, पंचायत समिति,
   सिरोही/शिवगंज/पिण्डवाडा/आबूरोड/रेवदर
2. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
   नगरपरिषद/नगरपालिका, सिरोही/शिवगंज/पिण्डवाडा/आबूपर्वत/आबूरोड

विषयः– कोरोना वायरस संक्रमण से उत्पन्न महामारी के कारण पूर्ण लॉक डाउन की स्थिति के दृष्टिकोण से जरूरतमंद परिवारों को तात्कालीक सहायता उपलब्ध करवानें के सदंर्भ में।

प्रसंगः– शासन सचिव, श्रम एवं रोजगार विभाग, राजस्थान, जयपुर का आदेश ।

उपर्युक्त विषयांतर्गत प्रासंगिक आदेश के संदर्भ में लेख है कि राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी के कारण पूर्ण लॉक डाउन की स्थिति को देखते हुए विषम परिस्थिति में तात्कालीक सहायता के रूप में निम्न श्रेणी के जरूरतमंद परिवारों को राशि रूपये 1000/– (प्रति परिवार) एक बारीय सहायता उपलब्ध करवानें का निर्णय लिया गया हैः–

1. BPL, State BPL एवं अन्त्योदय योजना के अंतर्गत आने वाले ऐसे परिवार जिनके किसी भी सदस्य को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है।
2. पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो प्रथम श्रेणी मे सम्मिलित नहीं है।
3. Street Vender जो उपरोक्त दो श्रेणियों में सम्मिलित नहीं है।
4. अन्य श्रमिक, रिक्शा चालक, निराश्रित तथा असहाय जरूरतमंद परिवार ।

उक्त अनुसार प्रथम दो श्रेणियों का भुगतान राज्य स्तर से किया जायेगा। जिला स्तर से निम्न श्रेणियों के जरूरतमंद परिवारों को भुगतान किया जाना हैः–

1. कम संख्या 1 व 2 की श्रेणियों के केन्द्रिय भुगतान उपरांत यदि कोई पात्र परिवार भुगतान से वंचित रह गये हैं।
2. कम संख्या 3 व 4 पर अंकित श्रेणियों का भुगतान जिला स्तर से ही सम्बंधित के बैंक खाते में हस्तांतरित किया जायेगा। यदि किसी पात्र परिवार के मुखिया के बैंक में खाता नहीं है तो उसे नकद राशि दी जायेगी।

अतः निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने क्षेत्र के उक्त अनुसार पात्र परिवारों का सर्वे कर चिन्हित करते हुए निम्न प्रारूप में तत्काल सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

कसं	पात्र परिवार के मुखिया का नाम/ पिता का नाम	जाति	निवास का पता	एकबारीय सहायता हेतु श्रेणी	मोबाईल नम्बर	बैंक खाता संख्या	बैंक का नाम मय आईएफसी कोड
1	2	3	4	5	6	7	8

जिला कलक्टर, सिरोही

क्रमांक/विकास/COVID-19/2020/556

दिनांकः 25.03.2020

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सिरोही
2. उपखण्ड अधिकारी, सिरोही/शिवगंज/पिण्डवाडा/आबूपर्वत/रेवदर (मानीटरींग कर सही सूचना त्वरित गति से भिजवाने हेतु)
3. तहसीलदार, सिरोही/शिवगंज/पिण्डवाडा/आबूरोड/रेवदर
4. कोषाधिकारी, सिरोही
5. सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सिरोही
6. जिला श्रम अधिकारी, सिरोही
7. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, सिरोही

जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned by CamScanner